प्रेस नोट
दिनांक 20.05.2026, थाना कोतवाली नगर
जनपद गोण्डा।

थाना को0 नगर पुलिस व एस0ओ0जी0/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में बमबाजी की घटना का सफल अनावरण, घटना में संलिप्त 01 आरोपी अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार व एक बालअपचारी पुलिस अभिरक्षा में, कब्जे से अवैध असलहा मय कारतूस, लूट का 2800/- रूपये, 02 अदद मोटसाईकिल बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-444/26, धारा 109(1),288,352,351(3) बीएनएस व 9बी(1)(बी) विस्फोटक अधि0, मु0अ0सं0-447/2026, धारा 309(1),308(5),127(2),133,61(2),3(5) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त बदमाश 01. देवेंन्द्र श्रीवास्तव पुत्र जायनेन्द्र नाथ नि0 बग्गी रोड धर्मही थाना धानेपुर जनपद गोण्डा (गोली लगने से घायल), 02. मानवेन्द्र तिवारी पुत्र यशराज तिवारी नि0 दिहवा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद पल्सर मोटरसाइकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणो की निशानेदही पर उसके 03 अन्य साथी अभियुक्त 01. अर्पित पाण्डेय पुत्र अभिषेक पाण्डेय नि0 आवास विकास कालोनी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा, 02. सत्यम सक्सेना पुत्र कृष्णकांत सक्सेना नि0 पटेल नगर रवि चिल्ड्रेन स्कूल के पास थाना को0 नगर जनपद गोण्डा व एक बालअपचारी को पुलिस अभिरक्षा/गिरफ्तार व कब्जे से लूट का 2800/- रूपये व 01 अदद स्पलेण्डर मोटरसाइकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.05.2026 को वादिनी डाली सिंह पत्नी रायचन्द्र सिंह निवासी जानकी नगर कालोनी मथेया तालाब थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 18.05.2026 को रात्रि लगभग 09:00 बजे से 09:25 बजे के मध्य 02-03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके घर पर बमबाजी एवं फायरिंग कर जान से मारने की नियत से हमला किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा तत्काल अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण में 04 पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा प्रभारी एसओजी/सर्विलांस टीम को भी घटना के सफल अनावरण हेतु लगाया गया। पुलिस टीमों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन कर घटना में संलिप्त अभियुक्तों की पहचान की गई तथा संभावित स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी क्रम में सकरूद्दीन मजार के पास स्थित कटरा रेलवे क्रासिंग के निकट चेकिंग के दौरान संदिग्ध बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया। स्वयं को घिरता देख बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त देवेंद्र श्रीवास्तव पुत्र जायनेन्द्र नाथ निवासी बग्गी रोड धर्महीी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के पैर में गोली लग गई। उसका साथी अभियुक्त मानवेन्द्र तिवारी मौके से भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा तत्परता से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद पल्सर मोटरसाइकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर उनके 03 अन्य साथी अभियुक्तों 01. अर्पित पाण्डेय पुत्र अभिषेक पाण्डेय निवासी आवास विकास कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा, 02. सत्यम सक्सेना पुत्र कृष्णकांत सक्सेना निवासी पटेल नगर रवि चिल्ड्रेन स्कूल के पास थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा तथा 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा कब्जे से लूट का 2800/- रूपये व 01 अदद स्पलेण्डर मोटरसाइकिल बरामद किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगणों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं। इनके द्वारा दिनांक 18.05.2026 को समय लगभग 11:00 बजे वादी शिवा तिवारी पुत्र मुरलीधर तिवारी निवासी धनेहरी बरईपुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा, जो एल0बी0एस0 महाविद्यालय से परीक्षा देकर अपने घर जा रहा था, को रास्ते में जबरन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर धनेली बाजार नहर के पास ले जाया गया। वहां अभियुक्तों द्वारा वादी के ऊपर तमंचा/पिस्टल लगाकर उससे लगभग ₹5,000 नगद, ₹14,500 ऑनलाइन ट्रांसफर, लगभग ₹14,000 कीमत की घड़ी एवं अन्य सामान छीन लिया गया। इसके अतिरिक्त अभियुक्तों द्वारा वादी को निर्वस्त्र कर उसका वीडियो बनाया गया तथा जबरन पुलिस प्रशासन के विरुद्ध अपशब्द कहलवाते हुए उसके हाथ में अवैध तमंचा पकड़ाकर वीडियो रिकॉर्ड किया गया। घटना के संबंध में किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसके उपरांत अभियुक्तगणों द्वारा वादी से ₹2,00,000 की फिरौती की मांग की गई तथा रुपये न देने पर वीडियो वायरल करने, बम मारकर पूरे परिवार को समाप्त करने एवं जान से मारने की धमकी दी गई। अभियुक्त घटना कारित कर फरार हो गए थे। साथ ही अभियुक्तों द्वारा उसी दिन समय लगभग 21:00 बजे से 21:25 बजे के मध्य वादिनी डाली सिंह के घर जाकर बमबाजी की घटना भी कारित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. देवेंन्द्र श्रीवास्तव पुत्र जायनेन्द्र नाथ नि0 बग्गी रोड धर्मही थाना धानेपुर जनपद गोण्डा (गोली लगने से घायल)
02. मानवेन्द्र तिवारी पुत्र यशराज तिवारी नि0 दिहवा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
03. अर्पित पाण्डेय पुत्र अभिषेक पाण्डेय नि0 आवास विकास कालोनी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
04. सत्यम सक्सेना पुत्र कृष्णकांत सक्सेना नि0 पटेल नगर रवि चिल्ड्रेन स्कूल के पास थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 448/26, धारा 109(1), 351(3) बीएनएस, 3/25/27 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली नगर गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-444/26, धारा 109(1),288,352,351(3) बीएनएस व 9बी(1)(बी) विस्फोटक अधि0 थाना को0नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-447/2026, धारा 309(1),308(5),127(2),133,61(2),3(5) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद मोटरसाईकिल बजाज पल्सर।
02. 01 अदद मोटरसाईकिल स्पलेण्डर।
02. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस।
03. लूट का रू0 2800/- बरामद।

आपराधिक इतिहास अर्पित पाण्डेय पुत्र अभिषेक पाण्डेय

01. मु0अ0स0- 100/26, धारा 316(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
02. मु0अ0स0- 232/25, धारा 115(2), 117(2), 191(2), 191(2), 191(3), 351(3), 352 बीएनएस थाना वजीरगंज, गोण्डा।
03. मु0अ0स0- 934/25, धारा 115(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
04. मु0अ0स0- 951/25, धारा 115(2), 126(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
05. मु0अ0स0- 847/24, धारा 109(1), 351(3), 352 बीएनएस थाना कोतवाली नगर गोण्डा।

06. मु0अ0स0- 847/24, धारा 115(2), 126(2), 181, 351(3), 352 बीएनएस थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
07. मु0अ0स0- 237/24, धारा 147, 323, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
08. मु0अ0स0- 71/24, धारा 147, 323, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
09. मु0अ0स0- 783/23, धारा 323, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर गोण्डा।

आपराधिक इतिहास सत्यम सक्सेना पुत्र कृष्णकांत सक्सेना

01. मु0अ0स0- 817/225, धारा 109(1), 115(2), 126(2), 191(2), 191(3), 308(4), 351(3)बीएनएस थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
02. मु0अ0स0- 518/24, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
03. मु0अ0स0- 64/23, धारा 363 भादवि थाना कोतवाली नगर गोण्डा।

आपराधिक इतिहास देवेंन्द्र श्रीवास्तव पुत्र जायनेन्द्र नाथ

01. मु0अ0स0- 424/26, धारा 115(2), 126(2), 191(2), 351(3)बीएनएस थाना कोतवाली नगर गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्र0नि0 बिन्देश्वरी मणि त्रिपाठी थाना को0 नगर मय टीम।
02. श्री मनीष जाट प्रभारी एस0ओ0जी0/सर्विलांस मय टीम।

मीडिया सेल, गोण्डा।